तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/7/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:54:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर बावड़ी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 2/2017

वादी :–

फतेहसिंह पुत्र स्व. श्री नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी– धनारीखुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गोपालसिंह पुत्र श्री बजरंगसिंह,
2. श्रीमती समदर कंवर पत्नी स्व. श्री नारायणसिंह,
3. कल्याणसिंह पुत्र श्री जसवन्तसिंह,
4. भगवानसिंह पुत्र श्री अमरसिंह,

   सभी जातियान राजपूत, निवासीगण– ग्राम ओस्तरा, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार, बावड़ी, जिला जोधपुर।

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता, वास्ते– वादी
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

दिनांक : 23/07/2021

निर्णय

1. वादी फतेहसिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलेक्टर पीपाड़शहर के न्यायालय में दिनांक 28.03.2008 को प्रस्तुत किया, बाद में सहायक कलेक्टर भोपालगढ़ का पद सृजित हो जाने से हस्तगत वाद को सहायक कलेक्टर भोपालगढ़ के न्यायालय में दिनांक 11.07.2010 को स्थानान्तरित किया गया। तत्पश्चात हस्तगत प्रकरण सहायक कलेक्टर बावड़ी का पद सृजित हो जाने से स्थानान्तरित किया है। वाद[illegible] इस प्रकार है कि वादी के पूर्वजों के समय से कब्जा [illegible] भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 8 बीघा 5 [illegible] भोपालगढ़ जिला जोधपुर में आई [illegible] उत्तर में भैरूसिंह, दक्षिण में सरकारी भूमि, पूर्व में भैरूसिंह, पश्चिम में अनोपसिंह आये हुए है। इस खेत को बोलचाल की [illegible]षा में पालिया वाला खेत कहते है। इस भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा वादी का चला आ रहा है। इस खेत में झौंपड़ी बनी हुई है जिसमें निवास कर रहे है। इस खेत में प्याज की फसल वादी द्वारा रामूराम चौधरी के नलकूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:54:56 IST
Reason: SelfAttested

सिंचाई कर पैदा की गई है। इस खेत को दिनांक 02.03.1961 को वादी के पिता नारायणसिंह को जालमसिंह, नारायणसिंह, किलाणसिंह (कल्याणसिंह), अमरसिंह, गोपालसिंह ने वादी के पिता स्व. नारायणसिंह को 200/– में कारकुट बेचान कर खेत का भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर बेचान रसीद बनाकर दी। नारायणसिंह के जीवनकाल तक नारायणसिंह के परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा था। नारायणसिंह द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर देने के बाद वादी के बंट में खेत आने से वादी का लगातार भौतिक रूप से कब्जा इस भूमि पर रहा है। वादी ने फसल की रखवाली हेतु खेत के चारों तरफ पत्थरों के पीलर खड़े कर तारबन्दी की गई तथा एक रहवासीय ढाणी भी बनाई गई जो मौके पर उपलब्ध है तथा तमाम प्रकार के लगान वादी द्वारा अदा किये गये है। आगे यह भी कथन किया कि पूर्व खातेदार नारायणसिंह फौत हो जाने के कारण उनकी विधवा पत्नी श्रीमती समदर कंवर उत्तराधिकारी होने के कारण पक्षकार बनाई गई। इसी प्रकार जसवन्तसिंह के फौत होने के कारण उनके उत्तराधिकारी पुत्र कल्याणसिंह को पक्षकार बनाया गया एवं अमरसिंह के फौत हो जाने के कारण उनके पुत्र भगवानसिंह को पक्षकार बनाये गये। इसी प्रकार हमीरसिंह व अमरसिंह लाऔलाद फौत हो गये। आगे यह भी बताया कि पिछले 47 वर्षों से पिता के जीवनकाल से भौतिक रूप से मालिक की हैसियत से वादी काबिज व काश्त है। वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। वादी ने यह भी कथन किये कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रलोभन में आकर दिनांक 15.03.2008 को इस भूमि का कागजी बेचान करने की धमकी दे गये। इसलिए वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अन्त में वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

2. यह है कि वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया जिस पर दिनांक 11.04.2008 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता विजयप्रकाश ओझा उपस्थित हुए तथा दिनांक 09.05.2008 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के बाद संशोधित वाद प्रस्तुत हुआ। जिसके प्रतिउत्तर हेतु बार–बार समय प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ। अन्त में जवाब भी बन्द की गई एवं पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु मुकर्रर हो गई। उसके भी लम्बे अन्तराल के बाद प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया व प्रार्थना पत्र एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर जवाब को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र की कोई पैरवी नहीं की गई और न ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित हुआ।

3. यह है कि प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण पत्रावली शुरू से ही वादी साक्ष्य हेतु मुकर्रर कर साक्ष्य कलमबंद [illegible] वादी की ओर से पीडब्ल्यु–1 स्वयं फतेहसिंह, पीडब्ल्यु–2 [illegible]धाराम, पीडब्ल्यु–3 भंवरराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श– 1 व 2 बेचान कारकुट की लिखापढी, प्रदर्श–3 से 13 गिरदावरी की रसीदें, प्रदर्श–14 जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–15 फर्द मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:54:56 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षण एवं प्रदर्श–16 से 19 भूमि के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये है।

4. यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है एवं तनकियात कायम नहीं किये गये है फिर भी न्यायालय को विनिश्चित किये जाने वाले बिन्दु पर ध्यान केन्द्रीत कर उक्त बिन्दु निर्णित किया जाना है। इसलिए न्याय निर्णय के लिए न्यायालय निम्न बिन्दु विरचित करते है।

आया वादी खातेदारी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है अगर हां तो कैसे?

5. उपरोक्त बिन्दु को विनिश्चिय करने के लिए न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य का परिसिलन एवं प्रस्तुत सुदा दस्तावेजात पर मनन किया जाना आवश्यक है। वादी ने अपने शपथ पत्र में जाहिर किया कि उक्त भूमि मेरे पिता ने दिनांक 02.03.1961 को बबदल प्रतिफल अदा कर प्राप्त किये थे जिसके समर्थन में प्रदर्श– 1 व 2 प्रस्तुत किये। वादी ने गिरदावरी की रसीदें प्रदर्श–3 से 13 तक प्रस्तुत की। साथ ही न्यायालय हाजा द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट प्रदर्श–15 भी प्रस्तुत हुई एवं तत्समय की जमाबन्दी भी पेश की गई। वादी के कथनों का किसी भी स्तर पर कहीं भी खण्डन नहीं हुआ है तथा न ही मौका कमिश्नर की रिपोर्ट का कोई खण्डन हुआ है। दूसरा बिन्दु यह भी देखे जाने योग्य है कि इस खेत की लगान की मूल प्रतियां प्रदर्श–3 से 13 वादी के कब्जे से पेश कैसे हुई है? इन रसीदों के पेश होने से वादी के कथनों को बल मिलता है। द्वितीय प्रतिवादीगण की तरफ से पैरवी करने में भी शुरू से अन्त तक उदासिनता रही है। इससे भी वादी का पक्ष निश्चित रूप से गौर करने योग्य बन जाता है। तीसरी बात यह देखने योग्य भी है कि प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने वादी द्वारा प्रस्तुत की गई बेचान की रसीद फर्जी हो, के बाबत कोई विधिक उपचार नहीं किया। वादी के द्वारा खेत के पड़ौसी व जिस नलकूप से विवादित भूमि की सिंचाई की जाती रही है वह गवाह पीडब्ल्यु–2 बुधाराम पुत्र रामूराम पेश किया। वादी ने अपने वाद पत्र में भी रामूराम के नलकूप से सिंचाई किया जाना बताया। उक्त वाद वर्ष 2008 में प्रस्तुत हुआ है जिसमें वर्णित कथनों का समर्थन इस गवाह द्वारा किया गया है। जिस पर संदेह किये जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। ठीक इसी तरह वादी की ओर से पीडब्ल्यु–3 भंवरलाल भी न्यायालय में उपस्थित हुआ। जिसमें अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में अपने आपको विवादित भूमि का पड़ौसी बताया जिसने भी इस भूमि पर कब्जा व काश्त वादी का होना बताया व सिंचाई बुधाराम पुत्र रामूराम के नलकूप से किये जाने की बात कही। उक्त गवाहों से पूर्व न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 12.06.2008 को भूअभिलेख निरीक्षक बावड़ी एवं पटवारी सांवला द्वारा [illegible] गई। उसमें भी वाद पत्र में वर्णित कथनों का समावेश [illegible] रिपोर्ट सरकारी कर्मचारियों द्वारा रूबरू मौका [illegible] भी कोई संदेह नही किया जा सकता। [illegible]–2 जिसके आधार पर वादी वाद प्रस्तुत करना बता रहा है [illegible] रसीद तत्समय की देशी लिखावटी व भाषा में निष्पादित की गई है। जिसमें यद्यपि खेत का खसरा नम्बर नहीं लिखा है लेकिन खेत को बोलचाल की भाषा में गांवों मे नामों से पुकारा जाता है। इस खेत का नाम पालिया अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:54:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर [illegible]

किया हुआ है तथा प्रतिफल लेना भी स्वीकार किया है तथा वादी के कब्जे में भी दखलअंदाजी से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

6. न्यायालय द्वारा वादी के वाद पत्र प्रस्तुत सुदा दस्तावेजात एवं पेश की गई साक्ष्य का विधिसमत परिसिलन किया गया। न्यायालय के मतानुसार एवं उपरोक्त विवेचानुसार न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु जो विरचित किया था वह वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने योग्य पाया जाता है इसलिए वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धनारीखुर्द के खसरा नम्बर 171 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जें व काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करवावें।

आदेश

7. चूंकि न्यायालय द्वारा विरचित किया गया विचारणीय बिन्दु वादी के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है। वाद वादी स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बावड़ी को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम धनारीखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी जरिये नामान्तरकरण वादी फतेहसिंह के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करवावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें, तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

श्रीमती सुमित्रा पारीक
सहायक कलेक्टर बावड़ी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

निर्णय व आदेश आज दिनांक 23/07/2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

श्रीमती सुमित्रा पारीक
सहायक कलेक्टर बावड़ी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:54:56 IST
Reason: SelfAttested